भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः /उ0ख0/भू0खनि0नि0/का0आ0/2023–24, **दिनांक 31 जनवरी, 2024**

कार्यालय आदेश

निदेशालय के पत्र संख्या 4842/र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पौडी गढवाल, देहरादून, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के कुल 51 उपखनिज लॉटों को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के प्राविधानानुसार खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 4895/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 16.12.2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा के कुल 51 उपखनिज लॉटों में से आवंटन हेतु अवशेष 37 उपखनिज लॉटों की पुर्न–निविदा (Re-Tender) आमंत्रित की गयी, जिसमें से जनपद उत्तरकाशी के 03 खनन लॉट तुल्याडा (सुनारगांव), गैलाडी एवं आर्च ब्रिज के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (सी0एण्डआर0 आर0एस0डब्लू0), टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या टीएचडीसीइलि0/टिहरी/सी0एण्डआर0आर0एस0डब्लू0/सी–141/97, दिनांक 06.01.2024 के द्वारा खनन/चुगान हेतु अनापत्ति नहीं दी गयी है, जिसमें से 02 उपखनिज लॉट ग्राम तुल्याडा (सुनारगांव) एवं गैलाडी की दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) समय अपराह्न 12.00 बजे तकनीकी निविदा खोली जानी निर्धारित है। महाप्रबन्धक (सी0एण्डआर0आर0एस0डब्लू0), टी0एच0डी0सी0लि0 के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 06.01.2024 के द्वारा उक्त लॉट में खनन/चुगान की अनापत्ति न दिये जाने के दृष्टिगत उक्त लॉटों की तकनीकी निविदा खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 5776 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/का0आ0/2023–24, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. महाप्रबन्धक (सी0एण्डआर0आर0एस0डब्लू0), टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, टिहरी गढवाल।
4. प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद उत्तरकाशी।
5. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सेल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक